अध्याय 14

आवास और शहरी विकास

दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी दिल्ली को पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक रूप से सतत–सुलभ जीवन गुणवत्ता के साथ संधारणीय, समावेशी और सबके लिये समान सुविधा सक्षम बनाना है। मलिन बस्तियों के विकास, सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तथा पर्याप्त जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधाजनक आवास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। ये नागरिकों के बेहतर और स्वास्थ्यकर जीवन के लिये अनिवार्य घटक हैं।

1.1 निर्धन और मध्य आय वर्ग के लिए सुलभ आवास दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है। समुचित आवासों का अभाव, बेघरों के रहन–सहन की दयनीय स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों के साथ मलिन बस्तियों की बड़ी संख्या, अनधिकृत कालोनियां और शहर में लगातार अन्य राज्यों से लोगों का आना–ये सब मिल कर आम लोगों के जीवन स्तर पर असर डालते हैं तथा अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं और आवासन की समस्या पैदा होती है।

1.2 दिल्ली में आवास स्थिति जटिल है, जहां इसका बुनियादी आधार 'जमीन' केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूमि अधिग्रहण और विकास उसकी जिम्मेदारी है। आवास की आपूर्ति और मांग के बीच बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी भरपाई बड़े पैमाने पर गैर–विनियमित निजी क्षेत्र करता है। बड़े पैमाने पर आवास की कमी, अनेक परिवारों का बिना किसी आश्रय या अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले आश्रय में रहना, मलिन बस्तियों की अधिक आबादी, अनेक परिवारों के पास एक कमरे का आवास होना दिल्ली के आवास परिदृश्य की मुख्य पहचान है।

1.3 हाल के वर्षों में सरकार मुख्य रूप से सुविधा वंचित और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। अनधिकृत कालोनियों में भारी सरकारी निवेश पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया गया है। इसका उद्देश्य सड़कों के विकास, जल निकासी और साफ–सफाई की व्यवस्था से लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। *स्व–स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वास* परियोजनाओं का उद्देश्य इन बस्तियों में रह रहे लोगों को 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं से आवास क्षेत्र में सुधार होगा।

1.4 पहली मई, 2017 को दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम 2016 के तहत रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) प्राधिकरण का गठन किया। इसका लक्ष्य रीयल एस्टेट क्षेत्र का नियमन सुनिश्चित करना और प्लॉटों, अपार्टमेंट या भवनों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है ताकि उपभोक्ताओं के हित संरक्षित किए जा सके। प्राधिकरण के निर्णयों, निर्देशों या आदेशों से संबंधित अपील की सुनवाई के लिए रीयल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का गठन जाएगा। यह प्राधिकरण पारदर्शिता, नागरिकों के प्रति जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन के लिए रीयल एस्टेट क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

1.5 आवास और शहरी विकास दिल्ली की विकास योजना प्रक्रिया में प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। दिल्ली में भूमि विकास और सार्वजनिक आवास व्यवस्था के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एकमात्र उत्तरदायी एजेंसी है। आवास की लगातार बढ़ती मांग की तुलना में अपर्याप्त निर्माण के कारण मलिन बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों और अतिक्रमण की समस्या स्थायी चुनौती बनी हुई है।

1.6 दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 2011 में 11,320 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर था, जो देश के अन्य भागों की तुलना में सबसे अधिक है। हालांकि 1991–2001 के दौरान 47.02 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर के मुकाबले 2001–2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है और यह 21.20 प्रतिशत हो गया । दिल्ली मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र है, इसके कुल क्षेत्रफल (1483 वर्ग किलोमीटर) का 75 प्रतिशत हिस्सा शहरी अधिक्षेत्र में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व 14698 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली की 16.37 मिलियन आबादी, अर्थात् कुल जनसंख्या (16.79 मिलियन) का 98 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रह रही है। दिल्ली का अत्यधिक शहरी स्वरूप सार्वजनिक सेवा वितरण/नागरिक बुनियादी ढांचा प्रणाली, जैसे जलापूर्ति, मल प्रवहन और जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, सुलभ आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं आदि, पर भारी दबाव डालता है, जिससे शहर की सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न होती है।

1.7 दिल्ली की एक तिहाई आबादी अवमानक आवासीय स्थितियों में रह रही है, जिनमें 675 मलिन और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां, 1797 अनधिकृत कालोनियां, पुराने जर्जर क्षेत्र और 362 गांव शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अक्सर सुरक्षित, समुचित आवासीय और बुनियादी सेवाओं का अभाव रहता है। अनुमानों के अनुसार दिल्ली को 2021 (मास्टर प्लान–2021) तक 24 लाख नई आवासीय इकाईयों की आवश्यकता पड़ेगी, इनमें से 54 प्रतिशत मकान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूह के लिए आवश्यक होंगे। करीब 42 प्रतिशत आवासीय इकाईयां अर्थात् करीब 10 लाख मकान मौजूदा आवासीय क्षेत्रों के सघनीकरण और पुनर्विकास के जरिए मुहैया कराने होंगे। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों का स्व–स्थाने पुनर्वास, आंतरिक विकास, अनधिकृत कालोनियों को नियमित बनाना और उनका पुनर्विकास करना तथा पुराने आवासीय क्षेत्रों का सघनीकरण और उन्नयन किया जाएगा।

1.8 शहरी बुनियादी सुविधाएं शहरी जीवन शैली की जीवन–रेखा हैं। इसके तहत सबके लिए पीने के पानी की उपलब्धता, चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति, मल–जल निकासी व्यवस्था, साफ–सफाई और शौचालय की व्यवस्था की जानी है, जो निर्धन आबादी वाले क्षेत्रों, जैसे मलिन बस्तियों, गांवों, अनधिकृत कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, आदि में विशेष रूप से अनिवार्य है। निर्धन आबादी में विशेष रूप से नगर निगम सेवाओं और कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि शहर को स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखा जा सके। इसके लिए ठोस कचरा प्रबंधन, साफ–सफाई और सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और सड़कों की नियमित देखभाल व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। वर्षा जल के समुचित संरक्षण और पानी के उपयोग में री–साइकलिंग नीति अपनाने तथा जल निकासी, सिंचाई और शहरी कृषि के लिए नवाचारी तरीके अपनाते हुए अवजल और बाढ़ के पानी को परिसंपत्ति के रूप में बदला जा सकता है।

1.9 पिछली 12 जनगणनाओं के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की तीव्र वृद्धि और शहरी आबादी में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति चार्ट 14.1 में दर्शायी गई है।

चार्ट 14.1

1901–2011 के दौरान दिल्ली में शहरीकरण की प्रवृत्ति

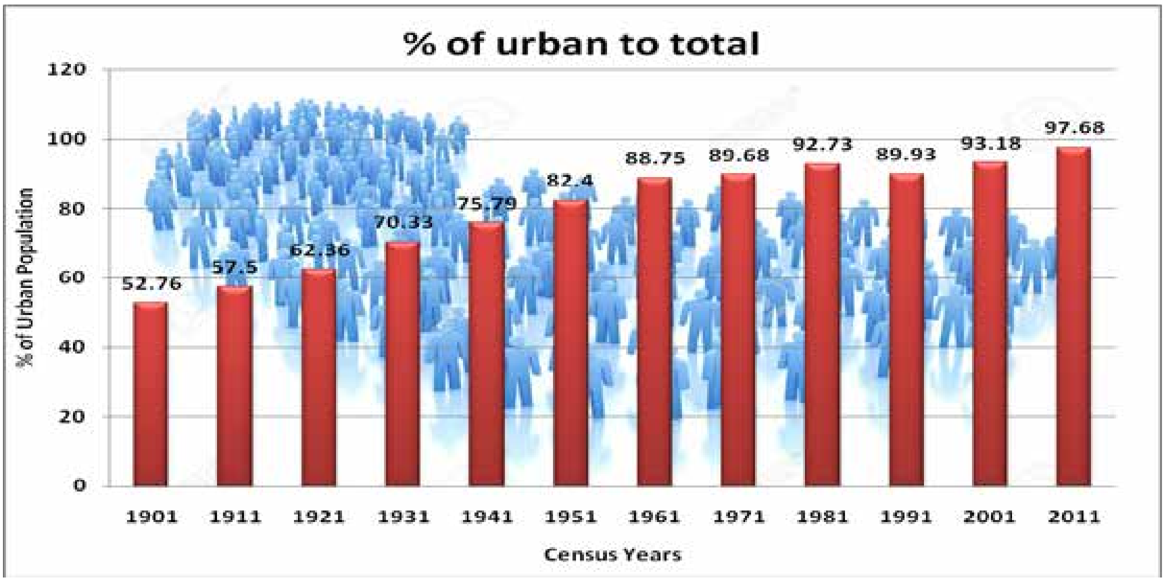

2 दिल्ली में आवासीय स्थितियां

2.1 जनसंख्या वृद्धि, प्रवास और भूमि की उपलब्धता की चुनौतियों के बावजूद पिछले कुछ समय से दिल्ली में आवास की स्थिति में वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में आवास की स्थिति नीचे विवरण 14.1 में दर्शायी गई है।

विवरण 14.1

क्र. स.	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
क	गणना आवासों की संख्या						
1	गणना आवासों की कुल संख्या	46,05,555	1,24,422	44,81,133	100.0	100.0	100.0
2	रिक्त गणना आवासों की कुल संख्या	5,12,691	22,556	4,90,135	11.1	18.1	10.9
3	प्रयुक्त गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	88.9	81.9	89.1
ख	प्रयुक्त गणना आवासों की संख्या						
	प्रयुक्त गणना आवासों की कुल संख्या	40,92,864	1,01,866	39,90,998	100.0	100.0	100.0
1	आवास के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे गणना आवासों की कुल संख्या	31,76,329	75,234	31,01,095	77.6	73.8	77.7
2	आवास एवं अन्य उपयोग	1,37,575	3,458	1,34,117	3.4	3.4	3.4
3	दूकान/कार्यालय	3,77,299	3,022	3,74,277	9.2	3.0	9.4
4	स्कूल/कॉलेज आदि	9,709	279	9,430	0.2	0.3	0.2
5	होटल/लॉज/गेस्ट हाउस आदि	7,754	60	7,694	0.2	0.1	0.2
6	अस्पताल/औषधालय आदि	7,853	113	7,740	0.2	0.1	0.2
7	फैक्टरी/वर्कशॉप/वर्कशेड आदि	90,945	829	90,116	2.2	0.8	2.2
8	पूजा स्थल	8,668	354	8,314	0.2	0.3	0.2
9	अन्य गैर–आवासीय इस्तेमाल	2,37,244	17,713	2,19,531	5.8	17.4	5.5
10	प्रयुक्त बंद गणना मकानों की संख्या	39,488	804	38,684	1.0	0.8	1.0

स्रोत : भारत की जनगणना–2011

2.2 2011 की जनगणना के 2.2 अनुसार दिल्ली में 46.1 लाख रिहायशी भवनों में से केवल 40.9 लाख मकान प्रयुक्त किए जा रहे थे और प्रयुक्त मकानों में से भी 77.6 प्रतिशत भवनों का इस्तेमाल रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था। अन्य उपयोग के अंतर्गत इन आवासीय इकाइयों में से 9.2 प्रतिशत का इस्तेमाल दुकानों/कार्यालयों के लिए किया जा रहा था और 5.8 प्रतिशत पूरी तरह गैर–रिहायशी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। दिल्ली में मकानों की गुणवत्ता में पिछले दशकों में सुधार आया है क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार जहां ''अच्छे'' मकान 58 प्रतिशत थे, वे 2011 में बढ़ कर 66 प्रतिशत हो गए। करीब एक तिहाई मकानों को छिटपुट मरम्मत की आवश्यकता थी और केवल 3 प्रतिशत ऐसे थे, जिनकी हालत बहुत खराब थी और उनके लिए व्यापक मरम्मत आवश्यक थी।

2.3 दिल्ली में मकानों की उपलब्धता पिछले वर्षों में बढ़ी है। फिर भी, मकान की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अभी बना हुआ है। सामान्य मूल्यांकन के अंतर्गत इस अंतराल का अनुमान परिवारों की संख्या और आवासीय इकाइयों की संख्या के बीच अंतर के आधार पर लगाया जाता है।

2.4 राष्ट्रीय स्थिति की तुलना में यह अंतर गणना रिपोर्टों के अनुसार है। दिल्ली में मकानों की कमी की स्थिति में 2001 से 2011 में सुधार हुआ, लेकिन सुधार की दर धीमी रही। हालांकि इस परिभाषा में आवासीय और भीड़भाड़ की स्थितियां शामिल नहीं है। दिल्ली और भारत में 1991, 2001 तथा 2011 में आवासीय भवनों और परिवारों की स्थिति की जानकारी विवरण 14.2 में दी गई है।

विवरण 14.2
1991, 2001 और 2011 के दौरान भारतद और दिल्ली में आवासीय भवन और परिवार

(लाख में)

क्र.स.	वर्ष	परिवार	आवासीय भवन	परिवारों की संख्या और आवासीय भवनों के बीच अंतर
1.	**1991**			
	दिल्ली	18.62	17.14	1.48
	भारत	1520.10	1470.10	50.00
2.	**2001**			
	दिल्ली	25.54	23.17	2.37
	भारत	1919.64	1792.76	126.88
3	**2011**			
	दिल्ली	33.41	31.76	1.65
	भारत	2466.93	2360.52	106.41

स्रोत : परिवारों और सुविधाओं संबंधी तालिकाएं, भारत की जनगणना, गृह मंत्रालय 1991, 2001 और 2011

2.5 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में परिवारों को वितरित मकानों के प्रकार के अनुसार 60.19 प्रतिशत परिवारों को 'अच्छे'', 36.19 प्रतिशत परिवारों को ''संतोषजनक'', और शेष 3.62 प्रतिशत परिवारों को ''खराब'' स्तर के मकान उपलब्ध थे। सर्वेक्षण से पता चलता है कि मकानों की ढांचागत संरचना के अनुसार 99.10 प्रतिशत पक्के मकान, 0.68 प्रतिशत अर्द्ध–पक्के मकान और 0.22 प्रतिशत कच्चे मकान थे।

विवरण 14.3
गणना मकानों की स्थिति

क्र सं	आवास सूची मद	पूर्ण संख्या			प्रतिशत		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1.	अच्छे	21,81,500	43,489	21,38,011	65.8	55.3	66.1
2.	रहने योग्य	10,39,572	32,234	10,07,338	31.4	40.9	31.1
3.	जीर्ण शीर्ण	92,832	2,969	89,863	2.8	3.8	2.8
	कुल आवास	**33,13,904**	**78,692**	**32,35,212**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

2.6 **आवास संकुचन :** दिल्ली में 60 प्रतिशत से अधिक परिवार एक कमरे और दो कमरे की आवासीय इकाईयों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार औसत परिवार आकार यदि 2.5 व्यक्ति प्रति कमरा हो, तो उसे आवास संकुचन स्तर से ऊपर कहा जाता है। औसत परिवार आकार प्रति कमरा 5 व्यक्ति आवास संकुचन है जो चिंता का विषय है। (तालिका 14.4)

2.7 **मकान का स्वामित्व :** 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है, जहां लगभग 68 प्रतिशत परिवारों के पास अपने मकान हैं। जिलावार वितरण से पता चलता है कि नई दिल्ली को छोड़कर सभी जिलों में अपना मकान रखने वाले परिवारों का अनुपात काफी ऊंचा है। नई दिल्ली में अधिसंख्य सरकारी क्वार्टर और राजनयिक एन्क्लेव स्थित हैं। प्रवासी लोग आमतौर पर किराए के मकानों में रहते हैं। शहर में स्थायित्व हासिल करने से पहले कम से कम शुरुआती दौर में यह बात विशेष रूप से लागू होती है। स्वामित्व वाले मकानों में बढ़ोतरी से शहर में स्थायित्व प्रक्रिया के बढ़ने का पता चलता है।

विवरण 14.4

जिला	स्वामित्व स्थिति		
	अपने मकान में रहने वाले परिवार	किराए पर रहने वाले परिवार	अन्य परिवार
राराक्षे दिल्ली	68.2	28.2	3.6
उत्तर–पश्चिम	72.5	24.1	3.4
उत्तर	69.2	26.4	4.3
उत्तर–पूर्वी	75.3	23.3	1.4
पूर्वी	68.3	28.6	3.1
नई दिल्ली	13.0	56.6	30.4
मध्य	70.7	24.7	4.6
पश्चिम	73.1	23.4	3.5
दक्षिण–पश्चिम	58.1	38.0	3.8
दक्षिण	63.5	32.8	3.7

स्रोत : भारत की जनगणना–2011

2.8 दिल्ली में मकानों का स्वामित्व स्तर भी काफी ऊंचा है, जहां 68 प्रतिशत परिवार अपने मकानों में और 28 प्रतिशत किराए के मकानों में रहते हैं (जनगणना 2011)। जिलावार आंकड़ों (विवरण 14.4) से पता चलता है कि उत्तरी जिलों में दक्षिणी जिलों की तुलना में स्वामित्व वाले मकानों की संख्या अधिक है। नई दिल्ली एकमात्र ऐसा जिला है, जिसमें स्वामित्व वाले मकानों से अधिक किराए के मकानों की संख्या है।

विवरण 14.5

मकानों के प्रकार के अनुसार परिवार

क्र.स	मकान का प्रकार	ढांचे की स्थिति			
		अच्छा	संतोषजनक	खराब	कुल
1.	पक्का	2374529 (99.91)	1403898 (98.25)	134292 (94.03)	3912719 (99.10)
2.	अर्ध पक्का	2051 (0.09)	21214 (1.48)	3592 (2.51)	26857 (0.68)
3.	सभी कच्चे	0 (0)	3837 (0.16)	4941 (0.21)	8778 (0.22)
4.	कुल	**2376580 (60.19)**	**1428949 (36.19)**	**142825 (3.62)**	**3948359**

स्रोत : दिल्ली में आवासों की स्थिति, एनएसएस 69वां दौर जुलाई–2012 दिसंबर–2012, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार।

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2.9 विवरण 14.5 में मकानों के ढांचे के प्रकार और प्रत्येक प्रकार में परिवारों की संरचना स्थिति के बारे में जानकारी अलग से दी गई हैं। सर्वेक्षण से पता चलता है कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल परिवारों में से 99.18 प्रतिशत परिवार पक्के मकानों में, 0.01 प्रतिशत परिवार अर्द्ध पक्के मकानों में और 0.81 प्रतिशत परिवार कच्चे मकानों में रह रहे थे।

2.10 **स्लम और अनियोजित आवास** : दिल्ली सरकार ने 2014 में मलिन बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों का सर्वेक्षण कराया था और यह अनुमान लगाया था कि ऐसी बस्तियों में करीब 3.3 लाख परिवार (मोटे तौर पर 17 लाख आबादी) रह रहे थे, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत हैं। हाल के वर्षों में दिल्ली में विकास की तीव्र गति ने रोज़गार के इच्छुक व्यक्तियों को यहां प्रवास के लिए प्रेरित किया है।

विवरण 14.6

अनियोजित आवासीय इकाइयां और जनसंख्या का वितरण

(1)	(2)	(3)
झुग्गी बस्ती	झुग्गी झोपड़ी बस्तियां 755 (करीब 3 लाख रिहायशी इकाइयां अपेक्षित हैं) आबादी 17 लाख	सरकारी भूमि अतिक्रमण (राज्य सरकार : 30 प्रतिशत, केंद्र सरकार 70 प्रतिशत)
पुनर्वास कालोनियां	कालोनियां 82 (45+37) प्लॉट 2,67,859 आबादी निर्दिष्ट नहीं।	शहर के विस्तारित क्षेत्र में समाहितं, आश्रय समेकन की स्थिति बेहतर, लेकिन समुचित सेवाओं का अभाव।
अनधिकृत कालोनियां	कालोनियां 1797 आबादी 40 लाख	मास्टर प्लानों का उल्लंघन करके अवैध कालोनियां बनाई गईं, जिनमें भूमि का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है।
अधिसूचित स्लम क्षेत्र (कटरे)	कटरे 2423, आबादी 20 लाख	स्लम क्षेत्र (परिष्कार एवं मंजूरी) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिसूचित। इनमें निवासी स्थायी लाइसेंस आधार पर रह रहे हैं।
शहरीकृत गांव	शहरीकृत गांव 135 (227 ग्रामीण गांव हैं, जो अभी शहरी के रूप में अधिसूचित नहीं किए गए हैं)	दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिसूचित
बेघर और फुटपाथ पर रहने वाले	16,000 व्यक्ति	-

स्रोत : दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

2030 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुल 48 लाख मकान बनाने/बेहतर करने होंगे। कुल मकानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत होगी।

2.11 दिल्ली सरकार आवास क्षेत्र में योगदान करने वाले अनेक पक्षों में एक एजेंसी है, क्योंकि भूमि, भूमि विकास और सरकारी आवास दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत है। परंतु, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किए जाने के साथ ही दिल्ली सरकार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण में शामिल हुई है। परंतु, लक्षित आबादी के अति विशाल आकार को देखते हुए इस तथ्य के कारण सरकारी प्रयास सीमित ही रहेंगे, क्योंकि भूमि की उपलब्धता और आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन है। 2021 तक अनुमानित 2 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए 2001–2021 की अवधि से सम्बद्ध दिल्ली मास्टर प्लान दस्तावेज (एमपीडी–2021) में 20 लाख नई आवासीय इकाइयां जोड़ने की योजना हैं, जिनमें से 54 प्रतिशत इकाइयां आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की श्रेणी के लिए होंगी।

2.12 मास्टर प्लान दस्तावेज 2021 के अनुसार आवास क्षेत्र के अनुमान नीचे दिए गए हैं।

चार्ट 14.2

एमपीडी 2021 के अंतर्गत आवास संबंधी अनुमान

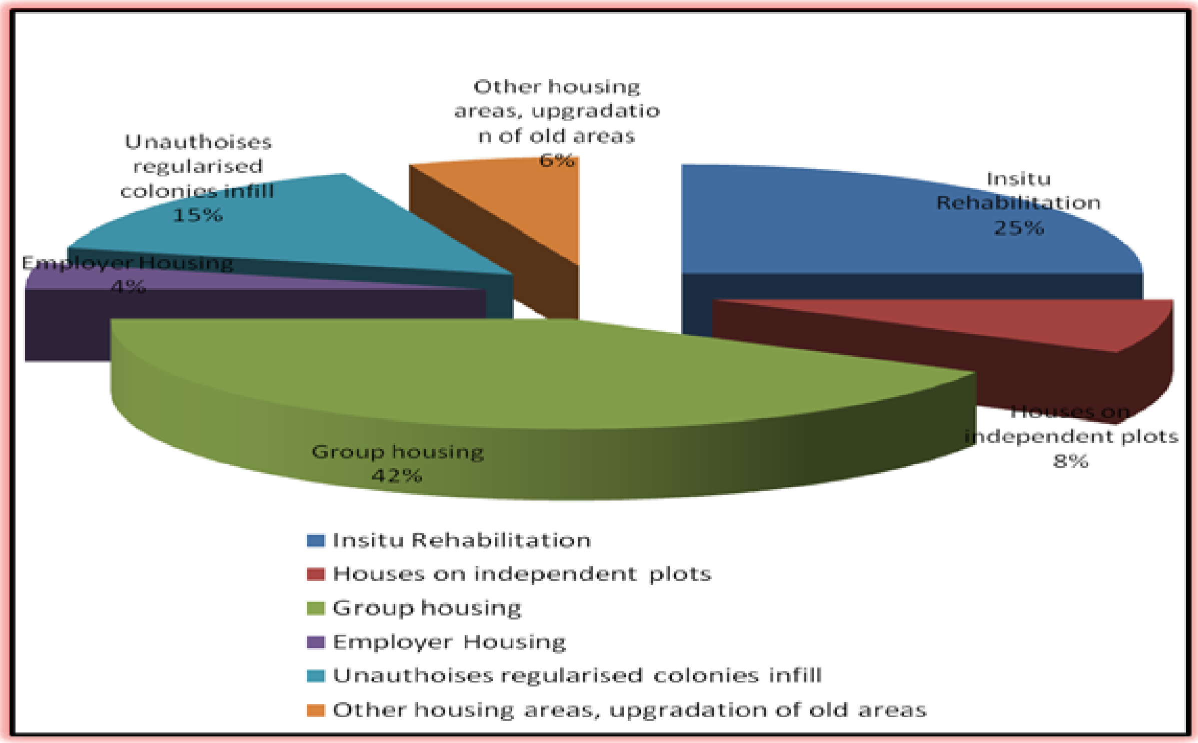

3 मुख्यमंत्री आवासयोजना (एमएमएवाई) झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कम लागत और सब्सिडी वाले मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों सहित शहरी निर्धन लोगों के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी से सुलभ मकानों के जरिए आवास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करना है।

4 **बुनियादी सुविधाएं** समावेशी शहर का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि उसमें सभी नागरिकों के लिए जलापूर्ति, स्वच्छता, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी समुचित पहुंच का प्रावधान हो। 2017–18 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में बिजली लगभग हर घर में पहुंचाई जा चुकी है और स्वच्छता तक पहुंच के मामले में भी, पूरी तरह से अनधिकृत बस्तियों को छोड़कर, उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है। दिल्ली में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता, में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। 2001 और 2011 के दौरान उपलब्ध सभी सुविधाओं की स्थिति विवरणी 14.7 में देखी जा सकती है।

विवरण 14.7

दिल्ली में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता

क्र सं	मद	2001 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत	2011 जनगणना (लाख में)	कुल परिवारों का प्रतिशत
1.	विद्युत	23.72	92.86	33.11	99.1
2.	शौचालय सुविधा	19.91	77.96	29.91	89.5
3.	विद्युत एवं शौचालय सुविधा	18.74	73.77	29.80	89.2
4.	विद्युत उपलब्ध लेकिन शौचालय सुविधा नहीं	4.98	19.49	3.31	9.9
5.	शौचालय उपलब्ध लेकिन विद्युत नहीं	1.17	4.59	0.11	0.3
6.	विद्युत और शौचालय सुविधाएं दोनों नहीं	0.65	2.55	0.19	0.6
7.	जलापूर्ति				
(i)	पाइप के जरिए जलापूर्ति	19.24	75.33	27.17	81.3
(ii)	हैंडपंप / टयूबवेल	5.60	21.91	4.58	13.7
(iii)	कुएं	0.01	0.04	0.03	0.1
(iv)	अन्य स्रोत (नदी / नहर / तालाब)	0.69	2.72	1.63	4.8

स्रोत : जनगणना 2011

5 अनधिकृत कालोनियां

5.1 सरकार दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले नागरिकों का जीवन सुगम बनाने और सड़क, सड़क किनारे की नालियां और गडढों को भर कर समुचित स्वास्थ्य परिस्थिति सुनिश्चित करने के साथ साथ न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार भारी सार्वजनिक निवेश कर रही है।

5.2 अनुमान है कि दिल्ली में 1797 अनधिकृत कालोनियां हैं, जिन्हें सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जाना है। इन कालोनियों में करीब 40 लाख आबादी है, जिसे बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करा कर प्रभावी रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

5.3 दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां, दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जलबोर्ड, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली के नगर निगम नियमित अनधिकृत कालोनियों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 2008 में 895 अनधिकृत कालोनियों को अस्थाई नियमन प्रमाणपत्र प्रदान किए थे।

5.4 आई एंडएफसी विभाग को 48 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए गैर–अधिकृत कालोनियों के विकास कार्य का जिम्मा नवंबर 2017 से अलग अलग चरणों में सौंपा गया।

5.4.1 विभाग ने अभी तक पात्र कालोनियों के लिए 4793.8 करोड़ रुपये की लागत से 1627 योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं में मौजूदा नालियों की मरम्मत/ऊंचा उठाने और कुछ स्थानों पर नई नालियों का निर्माण कार्य शामिल है। गलियों का विकास आर.एम.सी. सडकों के रूप में किया जा रहा है जहां सीवर और पानी की लाइने बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है अथवा तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में क्षेत्र के माननीय विधायक की अनुशंसा के अनुसार इंटर लॉकिंग टाइल्स अथवा कोलतार की सडकें बनाई जा रही हैं।

5.4.2 2023–24 के दौरान अनधिकृत कालोनियों में 902 बस्तियों की 1553 योजनाओं के लिए करीब 4534.64 करोड़ रुपये के व्यय और मंजूरी संबंधी प्रशासनिक अनुमोदन जारी कर दिए गए हैं। कुल जारी 1553 ए/ए और ई/एस में से 1415 कार्य सौंपे जा चुके हैं और इनमें से 1036 कार्य अब तक पूरे कर लिए गए हैं। 379 कार्य प्रगति परं हैं और 28 कार्यों को विभिन्न कारणों से रोक दिया गया है/अनुबंध खत्म कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। 110 कार्य निविदा/अनुमान स्तर पर हैं। शेष कार्य मार्च 2024 से पहले पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है।

5.4.3 अब तक 2754.44 करोड रुपये का कुल व्यय किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2018–19 में 75.78 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019–20 में 696.38 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वित्त्त वर्ष 2020–21 में 665.25 करोड़ रुपये और वर्ष 2021–22 के दौरान 563.24 करोड़ रुपये, और वित्तीय वर्ष 2022–23 में 598.98 करोड़ रुपय खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2023–23 में अक्तूबर माह तक 154.81 करोड़ रुपये का व्यय हो चुका है।

5.5 डीएसआईआईडीसी एक दशक से अधिक समय से दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में ढांचागत विकास कार्य कर रहा है। दिसंबर 2015 में सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि विकास कार्य सभी अनधिकृत कालोनियों में संचालित किए जाने चाहिएं।

5.5.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इलेक्ट्रिक पार्ट सहित 340.55 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य पूरे किए गए जबकि 30 नवंबर 2023 तक 40 कालोनियों में 144 .33 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर थे।

6 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी–डूसिब)

6.1 दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की स्थापना दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को रा.रा.क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के पुनः स्थापन/पुनर्वास के कार्यक्रम, जैसे पर्यावरण सुधार, स्लम बस्तियों के पुनः स्थापन और स्व–स्थाने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है।

6.2 डूसिब मुख्यरूप से स्लम बस्तियों में गुणात्मक सुधार और शहर में स्लम वासियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह शहरी निर्धनों/ स्लम निवासियों को स्लम एवं झुग्गी झोंपड़ी निवासी पुनर्वास नीति के तहत आवास के प्रावधान सम्बन्धी कार्यों को अंजाम देता है। इन कार्यों में विशेष परिस्थितियों, जैसे मकानों/कटरों के जोखिमपूर्ण/मानव आवास के लिए अनुपयुक्त हो जाने की स्थिति में, निर्मित फ्लैटों का प्रावधान करना शामिल है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से झुग्गी–झोंपड़ी बस्तियों में न्यूनतम नागरिक बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, स्नान घर और बस्ती विकास केन्द्र (सामुदायिक केंद्र) प्रदान करने पर ध्यान देता है।

6.3 डूसिब की व्यापक गतिविधियां इस प्रकार हैं :

- रैन बसेरों का निर्माण, प्रबंधन और रख–रखाव।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अतंर्गत स्लम निवासियों के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के तहत कम लागत के मकानों का निर्माण और मुख्यमंत्री आवास योजना–शहरी के अंतर्गत डूसिब, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों की जमीन पर बसी मौजूदा स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का स्व–स्थाने पुनर्वास।
- अनधिकृत निवासियों का स्थानांतरण और पुनर्वास
- झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों का स्व–स्थाने उन्नयन।
- शहरी स्लम बस्तियों में पर्यावरण सुधार।
- भुगतान करके इस्तेमाल योग्य जन सुविधा (शौचालय) परिसरों का निर्माण, प्रचालन एवं प्रबंधन। 01.01.2018 से शौचालयों का इस्तेमाल निःशुल्क बना दिया गया है।
- बस्ती विकास केन्द्रों/समुदाय भवनों का निर्माण एवं प्रबंधन।
- कटरों का संरचनागत सुधार और पुनर्वास।

6.4 स्व–स्थाने पुनर्विकास यह सुनिश्चित करने का समुचित विकल्प होगा कि विकास के कारण रोजगार की उपलब्धता, या कार्य स्थल पर पहुंचने में समय की हानि या आय में कमी न हो। पुनःस्थापन के मामले में आवागमन की सुविधा प्रदान करने अथवा आजीविका के साधनों के सृजन पर ध्यान दिया जाएगा। परन्तु, मलिन बस्तियों के विकास का क्रियान्वयन राज्य/शहर की वित्तीय और संसाधनगत उपलब्धि के अनुसार चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए।

6.5 मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के लिए पुनर्वास नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन के अंतर्गत, डूसिब स्लम निवासियो के स्व–स्थाने पुनर्वास के लिए कार्य कर रहा है।

6.6 स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त बनाना

6.6.1 दिल्ली में 675 स्लम और झुग्गी झोंपड़ी बस्तियां हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक झुग्गियां हैं। इन बस्तियों में 15 लाख लोग रहते हैं। जे.जे. बस्तियों में स्वास्थ्यकर स्थितियां बनाए रखने और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए झुग्गी झोंपड़ी निवासियों में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति दूर करने की तत्काल आवश्यकता महसूस करते हुए, डूसिब ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में ''भुगतान एवं उपयोग जन सुविधा परिसर'' के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में डूसिब इन झुग्गी झोंपड़ी

बस्तियों में हाउस कीपिंग के क्षेत्र में संलग्न प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से पक्का/प्रीफैब/एमटीवी/पोर्टेबल केबिनों में 20000 से अधिक डब्ल्यूसी सीटों का रखरखाव कर रहा है। इन ओ एंड एम एजेंसियों का रखरखाव अनुबंध पहले से ही विस्तारित अवधि पर है और इनके लिए नई निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। डूसिब उन स्थानों के लिए भी पोर्टेबल क्यूबिकल शौचालय प्रदान कर रहा है जहां जल और मलव्ययन सुविधाएं नहीं है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2018 से स्लम निवासियों के लिए ये सभी सामुदायिक शौचालय दिन–रात एवं सातों दिन निःशुल्क कर दिए गए हैं।

शौचालयों के लिए उठाए गए कदमः

डूसिब ने झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में शौचालय प्रदान करने की इस प्रक्रिया में कुछ उपाय किए हैं और नये शौचालयों में उन्हें लागू किया जायेगा, जो इस प्रकार हैं:–

- शौचालय परिसरों में दिव्यांगजनों के अनुकूल वाटर क्लोसेट (डब्ल्यूसी) प्रदान करना।
- पुरूषों और महिलाओं के लिए एक–एक डब्ल्यूसी रातभर खुला रखना।
- दिल्ली नगर निगम से ग्रहण किए गए पुराने जीर्ण–शीर्ण शौचालयों का पूर्ण जीर्णोद्धार और बेहतर मरम्मत एवं रखरखाव के लिए परिष्कृत मानदंड के अनुरूप मौजूदा शौचालयों का उन्नयन करना।
- झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में शौचालयों परिसरों के लिए नये डिजाइन तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई और इस प्रतियोगिता के आधार पर प्रस्तावित परिसरों के बाहरी रूपाकार में सुधार किया गया ताकि वे देखने में अच्छे लगे।
- वर्तमान शौचालयों परिसरों में सभी डब्ल्यूसी सीटों के साथ टैप वाटर की व्यवस्था करना ताकि इस्तेमालकर्ताओं के लिए स्वास्थ्यकर सुविधाओं में सुधार लाया जा सके।
- सभी संकेतकों का मानकीकरण, परिष्कार किया गया और उन्हें अधिक सूचनाप्रद बनाया गया।
- नियमित निरीक्षणों के लिए विशेष टीम तैनात करते हुए शौचालय परिसरों पर कड़ी निगरानी रखी गई।
- ऐसे स्थानों के लिए योजनाबद्ध पोर्टेबल मोबाइल शौचालय जहां जल और मल–जल व्ययन की सुविधाएं नहीं हैं।
- शौचालयों के इस्तेमाल के बारे में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए समुदाय को जागरूक बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जायेगी।
- झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के निवासी 01.01.2018 से इस सुविधाओं का इस्तेमाल निःशुल्क कर रहे हैं। पुरूषों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

7 आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास (बीएसयूपी)

7.1 भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप–मिशन–2 के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) उपलब्ध कराने के लिए 52584 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डीएसआईआईडीसी की 8, डूसिब की 6 परियोजनाओं और न.दि.न.प. की 1 परियोजना के लिए 2750.91 करोड़ रुपये की संशोधित लागत का अनुमोदन किया था। इनमें

से 24524 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है और 28060 फ्लैट निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। अब तक केवल 4833 फ्लैटों का आबंटन किया गया है। कम संख्या में फ्लैट अधिकृत करने के पीछे वजह यह है कि आवासीय इकाई प्राप्त करने के लिए पात्रता दर बहुत कम रखी गई है, आसपास अपेक्षित ढांचागत सुविधाओं का अभाव है और, आवंटितों में स्थानांतरण के बाद अपनी आजीविका खोने की आशका होती है। झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के स्व–स्थाने विकास से संबंधित अन्य मुद्दों में कालोनी का विकास होने तक जेजे निवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए भूमि का अभाव शामिल है।

7.2 डूसिब ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये द्वारका, सुल्तानपुरी और सावदा घेवरा में 10684 मकान बनवाये हैं। इस वर्ग के लिये 7400 मकान भलस्वा में निर्माणाधीन हैं। एजेंसियों को जल्द निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसका पालन न करने पर शर्तों के अनुरूप उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सावदा घेवरा में 4060 इकाइयों में कुछ मामूली खामियों को दूर करना और बिजली का कुछ काम बाकी है। डीएसआईआईडीसी ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 17600 मकान बनवाये हैं और दिल्ली के विभिन्न स्थानों जैसे पूठखुर्द चरण– 2 और चरण– 3 और टिकरीकलां में 16600 मकान निर्माणधीन हैं। 52,584 मकानों में से 4833 आवंटित कर दिये गये हैं (2153 झुग्गी झोपड़ी निवासियों को, 1144 मकान 1985 के पंजीकृतों को और 1536 सीआईएसएफ को)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 08.07.2020 के अपने फैसले से प्रावधान किया कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत मौजूदा पूरे हो चुके या अधूरे खाली मकानों को शहरी प्रवासियों/निर्धनों के लिये सस्ते किराये के आवासीय परिसरों के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने कई बार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि स्लम पुनर्वास के लिये निर्मित आवासीय परिसर को झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के स्थानांतरण/पुनर्वास के लिये उपयोग में लेने की अनुमति दी जाये, जहां डूसिब एआरएचसी की नोटिफिकेशन से पहले जमा किये गये पुनःस्थानांतरण शुल्क/लाभार्थी अंशदान को देखते हुए भूमि स्वामित्व एजेंसियों/लाभार्थियों/झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के प्रति दायित्वबद्ध है। 9104 फ्लैट को प्रतिबद्ध पुनःस्थानांतरण में उपयोग किये जाने के बाद, 9535 फ्लैट परस्पर सहमत शर्तों पर डीडीए को सौंपे जायेंगे, 16600 अधूरे फ्लैट सहित 28872 फ्लैट दूसिब और डीएसआईआईडीसी द्वारा उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार एआरएचसी योजना के तहत इस्तेमाल किये जायेंगे।

- इन अनुरोधों और विभिन्न समीक्षा बैठकों के बाद दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल ने डी ओ संख्या 14(10/आरएन/2022/40/21) दिनांक 11.03.2022 द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इस अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया।

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये, जेएनएनयूआरएम के तहत शुरू किये गये/निर्मित मकान लंबे समय से आवंटित नहीं किये जाने से संबंधित– एफएओ 36/2021, नीता भारद्वाज और अन्य बनाम कमलेश शर्मा शीर्षक वाला मामला, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2022 के आदेश द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सौंपा और इसे दिनांक 06.07.2022 के लिये एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका के रूप में एलडी.खंडपीठ को दिये जाने को कहा गया।

- दिल्ली के माननीय उपमुख्यमंत्री ने डी.ओ. दिनांक 02.08.2022 द्वारा माननीय आवासन और शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार से जेएनएनयूआरएम के तहत डूसिब और डीएसआईआईडीसी द्वारा निर्मित 47511 पूर्ण/अपूर्ण खाली फ्लैटों के उपयोग संबंधी लंबित मामले के शीघ्र समाधान का आग्रह किया। इस पत्र द्वारा रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से इन चार विकल्पों में से किसी एक को चुनने का अनुरोध किया।

विकल्प 1: परस्पर सहमति के आधार पर डीडीए को 9,535 इकाईयां सौंपे जाने से छूट। डूसिब के पास 9,104 फ्लैट्स की प्रतिबद्ध जिम्मेदारी है जिनके लिये पुनःस्थानांतरण शुल्क, भूमि स्वामित्व एजेंसियों या लाभार्थियों द्वारा, पहले ही जमा कराये जा चुके हैं, इसलिये इन 9,104 फ्लैटों के उपयोग की अनुमति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की स्वीकृत नीति (एआरएचसी की नोटिफिकेशन से पहले) के अनुरूप दी जा सकती है। जहां तक शेष 28872 फ्लैटों का सवाल है, इनका उपयोग एआरएचसी के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार .द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिये यह केंद्र सरकार के दिनांक 08.07.2020 के निर्णय और दिनांक 31.12.2020 के सर्कुलर के अनुसार रियायतग्राही का चयन करेगी।

विकल्प 2: डीडीए भारत सरकार की एआरएचसी योजना लागू करने के लिये सभी 47511 फ्लैट ले सकता है जिनके लिये डीडीए को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भूमि की कीमत अदा करनी होगी और राज्य की हिस्सेदारी देनी होगी।

विकल्प 3: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय उन 9104 फ्लैट को छोड़ दे जिनके लिये पुनःस्थानांतरण शुल्क भू स्वामित्व एजेंसियों या लाभार्थियों द्वारा पहले ही जमा कराये जा चुके हैं। शेष 38,407 फ्लैट का उपयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, भारत सरकार की एआरएचसी योजना के तहत कर सकती है।

विकल्प 4: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डूसिब और डीएसआईआईडीसी द्वार निर्मित सभी 47511 फ्लैटों का पूर्ण स्वामित्व और निर्णय का अधिकार ले सकती है जिसके लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी उसे स्थानांतरित करनी होगी। आगे के परिणाम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के फैसलों पर निर्भर करेंगे।

7.3 हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी(सी) 9470/2022 और सीएम एपीपीएल 30607/2022 और 30608/2022 में याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में आदेश दिनांक 18.09.2023 द्वारा निम्नलिखित निर्देश बिंदु जारी किये गये हैं:

- एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें शहरी विकास मत्रालय, भारत सरकार के सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, डीयूएसआईबी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और डीएसआईडी के अध्यक्ष शामिल होंगे। इस समिति को पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का काम सौंपा जाएगा। पात्र लाभार्थियों को 9,104 निर्मित फ्लैटों के आवंटन के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। समिति के सदस्यों को, निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर संबंधित सरकारी प्रभागों या विभागों से अतिरिक्त अधिकारियों को शामिल करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

- समिति आवासों के आबंटन के लिए एक स्पष्ट और संक्षिप्त नीति बनाएगी, विशेष रूप से एआरएचसी और पुनर्वास नीति, 2015 के बारे में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करेगी। उन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने पहले ही अपना बकाया भुगतान कर दिया है और जिन्हें आश्रय की सख्त जरूरत. है।

- समिति सहयोग और स्पष्ट एवं कार्रवाई योग्य परिणामों पर जोर देते हुए शेष निर्माण तथा मरम्मत कार्य की भी निगरानी करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को, शेष निर्माण और मरम्मत कार्य को पूरा करने की समयसीमा और कार्यप्रणाली का विवरण देते हुए तुरंत एक कार्य योजना तैयार करने और समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

- प्रासंगिक एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी मकान पानी, सीवेज और बिजली सहित आवश्यक नागरिक सुविधाओं से लैस हों। दिल्ली जल बोर्ड को सीवरेज कनेक्शन और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिजली केबल बिछाने को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बिजली आपूर्ति कंपनी को भी शामिल किया जाएगा। इस आदेश के जारी होने के तीन महीने के भीतर की गई कार्रवाई के विवरण संबंधी रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- संभावित लाभार्थियों से जुड़ने के लिए एक उप–समिति या एक समर्पित टीम का गठन किया जाना चाहिए। विशेष रूप से सुविधाओं की कमी के बारे में उनकी चिंताओं को संबोधित किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये आवास केवल संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तव में शहरी गरीबों के लिए घर हैं।

- उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर पहली बैठक आयोजित करने का प्रयास करेगी और आवश्यकता पड़ने पर आगे की बैठकें आयोजित करना जारी रखेगी। वे इस न्यायालय में एक द्विमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें ऊपर उल्लिखित प्रत्येक क्षेत्र में हुई प्रगति का विवरण होगा।

- पात्र लाभार्थियों की रुचि की कथित कमी को दूर करने के लिए, एक लक्षित जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें घरों की उपलब्धता और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाए।

- अदालत को पूरी उम्मीद है कि ये निर्देश लंबे समय से चले आ रहे इस मुद्दे के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे समाज के शहरी गरीबों को सिर ढकने के लिए छत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें वे घर उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके वे हकदार हैं। हम इन निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन की उम्मीद करते हैं और आने वाले महीनों में प्रगति पर सकारात्मक रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे।

- परिणाम की रिपोर्टिंग और आगे के निर्देशों के लिए 18 दिसंबर 2023 को सूचीबद्ध।

7.4 उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, विशेष सचिव–। (यूडी), रा.रा.क्षे. द्वारा दिनांक 18.09.2023 के आदेश द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया।

7.5 पूरे हो चुके फ्लैट, आवंटित फ्लैट और अधिगृहीत फ्लैटों सहित फ्लैट निर्माण का एजेंसीवार ब्योरा विवरण 14.8 में देखा जा सकता है:

विवरण 14.8

डूसिब, डीएसआईआईडीसी और एनडीएमसी की परियोजना के अंतर्गत फ्लैटों का सारांश

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	निर्मित होने वाली यूनिटो की संख्या	पूर्ण निर्मित यूनिटों की संख्या	आवंटित यूनिटों की संख्या	अधिकृत यूनिटों की संख्या	यूनिट आवंटन का ब्यौरा
डूसिब							
1.	सेक्टर 16 बी, फेज–2, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए 980 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–10.03.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–31.07.2014)	50.69	980	980	934	934	नोट–1 देखें
2.	साइट नम्बर–2, सेक्टर 16 बी, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 736 चार मंजिला कम लागत के ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–18.12.2009) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–20.09.2013)	21.70	736	736	0	0	शून्य
3.	साइट नम्बर–2, सेक्टर 16 बी, द्वारका के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 288 चार मंजिला कम लागत के ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–18.12.2009) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–05.12.2013)	8.45	288	288	44	44	नोट–2 देखें
4.	ए–3, सुल्तानपुरी के स्लम निवासियों के लिए 1060 (जी+4) पांच मंजिला मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–10.03.2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–31.03.2016)	52.55	1060	1060	0	0	शून्य

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	निर्मित होने वाली यूनिटो की संख्या	पूर्ण निर्मित यूनिटों की संख्या	आवंटित यूनिटों की संख्या	अधिकृत यूनिटों की संख्या	यूनिट आवंटन का ब्यौरा
5.	सावदा घेवरा फेज–3 के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 7620 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–10.03. 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–01.07. 2017)	407.68	7620	3560	1144	216	नोट–3 देखें
6.	पॉकेट–2 भलस्वा जहांगीरपुरी के स्लम निवासियों के लिए (जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत) 7400 (जी+4) पांच मंजिला ईडब्ल्यूएस मकानो का निर्माण (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–01.08. 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–कार्य प्रगति पर है)	459.18	7400	0	0	0	शून्य
	डीएसआईआईडीसी						
7.	बवाना–नरेला–भोरगढ़ (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–फरवरी 2007 से फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2008 से मई 2011)	152.1	3868	3868	327	326	
8.	घोघा–बापरौला (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अगस्त 2007 से फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2010 से फरवरी 2013)	257.98	7104	7104	848	851	नोट–4 देखें
9.	बापरौला फेज–2 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–फरवरी 2008) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–फरवरी 2013)	98.45	2144	2144	1536	1536	
10.	बवाना (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अगस्त 2007) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2010)	28.87	704	704	0		

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	निर्मित होने वाली यूनिटो की संख्या	पूर्ण निर्मित यूनिटों की संख्या	आवंटित यूनिटों की संख्या	अधिकृत यूनिटों की संख्या	यूनिट आवंटन का ब्यौरा
11.	पूठ खुर्द फेज–1 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अक्टूबर 2011) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–अक्टूबर 2016)	222.05	3840	3840	0		
12.	पूठ खुर्द फेज–2 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–मई 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–दिसम्बर 2016 में 35 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	272.06	4560	0	0		
13.	पूठ खुर्द फेज–3 (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–अक्टूबर 2011) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–मार्च 2019 में 65 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	363.08	6300	0	0		
14.	टिकरी कलां (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–दिसम्बर 2012) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख–मार्च 2019 में 50 प्रतिशत (निर्धारित कार्य का) निर्माण कार्य पूरा)	334.18	5740	0	0		
	न.दि.न.प.						
15.	बक्करवाला (निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तारीख–जून 2013) निर्माण कार्य पूरा होने की तारीख– 31.03.2016)	21.89	240	240	0		
कुल		**2750.91**	**52584**	**24524**	**4833**	**3907**	

नोट 1	934 फ्लैट आवंटित किए गए थे और आवंटियों को सभी 934 फ्लैट का कब्जा दे दिया गया लेकिन दो वर्ष बाद 8 फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया गया। अब आवंटन रद्द 7 फ्लैटों को 15 दिन के अंदर खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।
नोट 2	44 फ्लैट झुग्गी निवासियों को आवंटित किए गए।
नोट 3	7620 फ्लैटो में से 4060 फ्लैटो में मामूली खामियां दूर करने और कुछ विद्युत कार्य बकाया हैं। पूर्ण किए गए 3560 फ्लैटो में से 1144 फ्लैट 1985 की पंजीकरण योजना के अंतर्गत आवंटित किए गए, परन्तु 1144 आवंटियों में से 216 को फ्लैटो का कब्जा दिया गया है।
नोट 4	3 फ्लैट सामाजिक कार्य के लिए लीज आधार पर आंगनवाड़ी को दे दिए गए। बपरौला में 624 (608 जोड़ 16) फ्लैट सीआईएसएफ को आवंटित किये जाने है।

8 रैन बसेरे

8.1 डूसिब का मुख्य उद्देश्य फुटपाथ पर सोने वाले पूरी तरह बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करना है। वर्तमान में डूसिब 198 रैन बसेरों का प्रचालन और प्रबंधन कर रहा है, जिनमें 16964 बेघर लोगों के ठहरने की क्षमता है। डूसिब ''आश्रय प्रबंधन एजेंसियों'' के माध्यम से दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर 'शेल्टर होम्स' का प्रचालन और प्रबंधन कर रहा है, जो दिन रात काम करते हैं। वर्ष के अन्य भागों की तुलना में सर्दी में बेघर लोगों की अधिक संख्या को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर वाटर प्रूफ पैगोड़ा टेंट लगा कर यह क्षमता बढ़ा दी जाती है। इन शेल्टर होम्स का प्रचालन और प्रबंधन दिल्ली सरकार की नियोजित स्कीमों में से एक के तहत आवंटित निधि के साथ किया जा रहा है। आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर पैगोडा टेंट लगाने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है और ये आश्रय 15.11.23 से 15.03.24 तक संचालित रहेंगे। सड़कों, फुटपाथों, पुलों के नीचे पटरी आदि पर सोने वाले बेघर लोगों को डूसिब के रैन बसेरों में स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध टीम तैनात की जाती हैं। महिलाओं, बच्चों, परिवारों, विशेष रूप से सक्षम महिलाओं, नशे की लत के शिकार लोगों के रिकवरी शेल्टर के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है।

8.2 इन रैन बसेरों का प्रबधन आश्रय प्रबंधन एजेंसियों/गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान बेघर लोगों को बचा कर रैन बसेरों तक लाने के लिए बचाव दलों की भी तैनाती की गई है। ये रैन बसरे बेघरों के इस्तेमाल के लिए हर दिन चौबीसों घंटे खुले रहते हैं, और निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठंड के दौरान नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है और किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 23378789, 23370560 (लैंडलाइन), 8527898295 (मोबाइल नंबर) और ईमेल dusibnightshelters@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा डूसिब ने बेघर लोगों का पता लगा कर उन्हें सुरक्षित स्थल तक पहुंचाने के लिए ''रैन बसेरा'' नाम से मोबाइल ऐप भी शुरु किया है।

8.3 प्रत्येक रैन बसेरे में पर्याप्त संख्या में कम्बल, दरियों, जूट की चटाइयों, चादर, तकिए, गद्दों, पीने का पानी/वाटर कूलर/मयूर जग/वाटर डिस्पेंसर, बिजली कनेक्शन, इमरजेंसी लाइट, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन यंत्रों का प्रबंध होता है। इन रात्रि आश्रय गृहों में गर्मियों के दौरान आराम और सुविधा के लिए डेजर्ट कूलरों का प्रबंध किया गया है, जबकि सर्दियों में वाटर हीटर/गीजर का प्रबंध अधिकांश स्थायी रैन बसेरों में किया जाता है। अधिकांश स्थायी रैन बसेरों में मनोरंजन के लिए कलर टीवी सेट भी प्रदान किए जाते हैं। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को दिन में तीन बार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

9. यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड

9.1 यमुना पार क्षेत्र के समुचित, तीव्र और स्थाई विकास के लिए एक सलाहकार बोर्ड के रूप में 1994 में यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) की स्थापना की गई थी। बोर्ड यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए निर्माण कार्यों का अनुमोदन और अनुशंसा करता है। यमुना पार क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं के विकास में अनेक एजेंसियां शामिल हैं जैसे – दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। बोर्ड के गठन के बाद से बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ी अधिकांश गतिविधियां बोर्ड द्वारा समन्वित की जाती हैं।

9.2 बोर्ड यमुना पार क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए सरकार को बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े मुद्दों पर भी परामर्श देगा ताकि यमुना पार क्षेत्र और रा.रा.क्षे. दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के बीच विकास असमानता दूर की जा सके। 2009–10 से 2022–23 के दौरान यमुना पार क्षेत्र विकास बोर्ड (टीवाईएडीबी) का एजेंसीवार व्यय विवरण 14.8 में दर्शाया गया है।

विवरण 14.8

टीवाईएडीबी का एजेंसीवार व्ययः 2009–10 से 2022–23

(करोड़ रुपये में)

क्र सं	एजेंसी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	दि.ज.बो.	23.00	17.00	15.75	15.72	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	एमसीडी	40.00	39.93	60.00	70.00	109.86	80.00	30.00	-	21.90	34.86	29.47	6.94	9.21	4.07
3.	पीडब्ल्यूडी	0.01	-	0.47	4.82	0.05	0.09	-	-	-	-	2.98	-	-	-
4.	आई एण्ड एफसी	15.00	9.78	10.00	18.93	19.99	22.71	-	-	6.52	11.50	8.20	0.68	0.74	1.43
5.	शहरी विकास	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	डूसिब	-	-	-	-	-	5.50	-	2.00	-	3.16	3.83	-	-	0.10
7.	डीएसआईआईडीसी	-	-	-	--	-	-	-	-	1.43	-	-	-	-	-
	कुल	**78.01**	**66.71**	**88.72**	**109.47**	**132.90**	**110.30**	**30.00**	**2.00**	**29.85**	**49.52**	**44.48**	**7.62**	**9.95**	**5.60**

10 पुराने दिल्ली शहर का विकास

पुरानी दिल्ली क्षेत्र का ऐतिहासिक धरोहर स्वरूप बनाए रखने और उसके पर्यावरण में सुधार के लिए एक व्यापक पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक विरासत क्षेत्रों के नवीकरण और रख–रखाव में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों तथा पेशेवरों को सक्रिय रूप में शामिल किया गया है। पुरानी दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम की स्थापना की गई है। निगम की प्रमुख गतिविधियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्मित और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को प्रोत्साहित करना शामिल है, जिसे सभी नागरिकों द्वारा संरक्षित और पोषित किये जाने तथा बनाए रखने की आवश्यकता है। निगम बिना कोई लाभ कमाए वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण और सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान शहरी धरोहर की संरक्षा करता है।

11 केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)

11.1 पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन (अमृत 1.0) :

स्कीम का नाम	पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन (अमृत 1.0)
राज्य / सीएसएस स्कीम	सीएसएस स्कीम (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
वित्त पोषण रूपरेखा	100% केंद्रीय वित्त पोषित

स्कीम ब्योरा

- पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन (अमृत) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने 25 जून, 2015 को किया था।

- ये मिशन अभी विस्तारित चरण में है जो 31.03.2024 को समाप्त होगा।

- इस मिशन की प्राथमिकता प्रत्येक घर में सीवर कनेक्शन सहित जल और सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना में वर्षा जल निकासी, हरियाली और उद्यानों का विकास, शहरी परिवहन जिसमें रास्तों का निर्माण, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, फुट–ओवर ब्रिज, गैर–मोटर चालित परिवहन और मल्टीलेवल पार्किंग जैसे घटक भी शामिल हैं। कुल एसएएपी का 2.50 प्रतिशत हरित परियोजनाओं के लिये रखा जाना अनिवार्य है।

- अमृत केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके लिये शत प्रतिशत राशि केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। यह राशि तीन किस्तों में 20:40:40 के अनुपात में जारी की जाती है।

<u>वित्तीय प्रगति</u>

- भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 674 करोड़ रुपए की कुल राशि प्राप्त हुई है और समग्र परियोजना निधि कार्यान्वयन एजेंसियों– एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी को जारी कर दी गई हैं।

- विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों ने 539 करोड़ रुपए के कुल व्यय की रिपोर्ट दी है और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 517.35 करोड़ रुपए का उपयोग प्रमाणपत्र सौंप दिया गया है।

<u>कार्यान्वयन की स्थिति</u>

- अमृत के तहत कुल 27 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी और अब 18 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 08 परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। (जारी परियोजनाओं की सूची संलग्न हैं।)

➢ भौतिक प्रगति 76 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक : 06 परियोजनाएं (3 दिल्ली जल बोर्ड, 3 एमसीडी)
➢ भौतिक प्रगति 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक : 01 परियोजना (1 एमसीडी)
➢ भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत से कम : 01 परियोजना (1 दिल्ली जल बोर्ड)

- एक परियोजना एनडीएमसी द्वारा रद्द कर दी गई है।

11.2 पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0) :

स्कीम का नाम	पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिये अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0)
राज्य/सीएसएस स्कीम	सीएसएस स्कीम (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
वित्त पोषण रूपरेखा	100% केंद्रीय वित्त पोषित

<u>स्कीम ब्योरा</u>

- पुनरुद्धार और शहरी कायापलट के लिए अटल मिशन 2.0 (अमृत 2.0) का उद्देश्य 500 अमृत शहरों में शत–प्रतिशत जलापूर्ति, शत–प्रतिशत सीवर और सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराकर सभी शहरों को जल सुरक्षित करने का लक्ष्य प्राप्त करना है।

- जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर भी अमृत 2.0 का हिस्सा है।

- स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को कुल परियोजना निधि आवंटन 2885.00 करोड़ रुपए का है, जिसमें 168.27 करोड़ रुपए जल निकायों के पुनरूद्धार/हरित क्षेत्र के लिए हैं। प्रशासनिक और कार्यालय व्यय निधि 93.00 करोड़ रुपए है।

- यह राशि 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी।

<u>वित्तीय प्रगति</u>

- राज्य जल कार्रवाई योजना (एसडब्ल्यूएपी) के पहले भाग के अंतर्गत 28 परियोजनाएं हैं जिन पर 1064.97 करोड़ रुपए (केवल पूंजीगत व्यय लागत) मंत्रालय द्वारा 27.10.2022 को मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय सहायता की पहली किश्त–211.4059 करोड़ रुपए आवासन और शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त हो गई है और यह राशि कार्यान्वयन एजेंसियों को आवंटित/जारी कर दी गई है।

- अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 93.023 करोड़ रुपए लागत की जल निकाय पुनरूद्धार की 38 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च समिति ने 04.07.2022 को इसे मंजूरी दी। मंत्रालय से राशि जारी किया जाना है।

<u>भौतिक प्रगति</u>

- योजना के पहले भाग के अंतर्गत कुल 28 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं, जिनकी स्थिति इस प्रकार है :

कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित परियोजना	अनुबंध आवंटन	डीपीआर/नआईटी चरण	पूरी कर ली गई	रद्द कर दी गई
दिल्ली जल बोर्ड	10	01	08	0	1
एमसीडी	18	04	14	0	0
कुल	**28**	**05**	**22**	**0**	**1**

- अमृत सरोवर के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :–

कार्यान्वयन एजेंसी	अनुमोदित परियोजना	अनुबंध आवंटन	डीपीआर/नआईटी चरण	पूरी कर ली गई	रद्द कर दी गई
दिल्ली जल बोर्ड	18	00	18	00	00
एमसीडी	20	13	06	00	01
कुल	**38**	**13**	**24**	**00**	**01**

11.3 स्मार्ट सिटी मिशन

स्कीम का नाम	स्मार्ट सिटी मिशन
राज्य/सीएसएस स्कीम	सीएसएस स्कीम (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)
वित्त पोषण रूपरेखा	100% केंद्रीय वित्त पोषित

स्कीम ब्योरा

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य नागरिकों की उन सभी जरूरतों को पूरी करने का प्रावधान करना है जिनकी रूपरेखा शहरी योजनाकार शहरी इको सिस्टम विकसित करते समय तैयार करते हैं। मुख्य रूप से यह व्यापक विकास के चार स्तंभों पर आधारित होता है – संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचा। यह एक दीर्घावधि लक्ष्य हो सकता है और शहर ऐसा बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करते हुए स्मार्ट उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

- नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में इसके पहले चरण में एक स्मार्ट सिटी के रूप में चुनी गयी। इसके बाद जुलाई 2016 में एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रूप में विशेष प्रयोजन व्यवस्था (एसपीवी) शामिल की गयी।

- कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसियेशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुरूप काम शुरू कर दिया है। ई गवर्नेंस और एम–गवर्नेंस, सूचना प्रसार, बिजली वितरण और सौर ऊर्जा कुछ व्यापक क्षेत्र हैं जिनमें एनडीएमसी अपनी परियोजनाएं लागू कर रही है।

वित्तीय प्रगति

- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी मिशन को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 343.00 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और एनडीएमसी ने 349.00 करोड़ रुपये का अंशदान किया है। प्राप्त राशि से एनडीएमसी स्मार्ट सिटी मिशन में कुल 567.70 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

भौतिक प्रगति

- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 122 परियोजनाएं तय की गई हैं। इनमें 94 पूरी हो चुकी हैं और 28 पूरी की जा रही हैं।

11.4 एनयूएलएम के तहत राज्य शहरी आजीविका मिशन, दिल्ली मिशन स्वराज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2023–24 के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी के संदर्भ में अद्यतन डेटा/सूचकांक इस प्रकार हैं :

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। राराक्षे दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग दिल्ली में एनयूएलएम की गतिविधियों में समन्वय के लिए राज्य सरकार का नोडल विभाग है। इसके अतिरिक्त एनयूएलएम के अंतर्गत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए मिशन स्वराज को राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य लाभप्रद स्व–रोजगार और कुशल दिहाड़ी रोजगार के अवसरों तक पहुंच कायम कर शहरी निर्धन परिवारों

की गरीबी और असुरक्षा दूर करना है। गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत संस्थाएं निर्मित करने से उनकी आजीविका में सतत आधार पर समुचित सुधार होगा। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवा सुविधाओं के साथ आश्रय उपलब्ध कारना भी है। इसके अतिरिक्त यह मिशन शहरी फेरी वालों और रेहड़ी पटरी वालों को समुचित स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल तथा उभरते बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करता है।

एनयूएलएम के तहत 6 घटक इस प्रकार हैं:–

1. कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार

एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के जरिये रोजगार (ईएसटी एण्ड पी) घटक का लक्ष्य अकुशल शहरी निर्धनों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनके मौजूदा कौशल का उन्नयन करना है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी निर्धनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सके और निजी क्षेत्र में वेतन रोजगार प्राप्त कर सके। ईएसटी एण्ड पी कार्यक्रम का लक्ष्य है बाजार की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए स्थानीय कौशल की मांग और उपलब्धता के बीच अंतराल दूर करना है।

कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के जरिये रोजगार (ईएसटी एण्ड पी) कार्यक्रम का व्यापक लक्ष्य स्थायी आजीविका के लिए कौशल के रूप में शहरी निर्धनों को एक प्रकार की संपत्ति प्रदान करना और उन्हें संरचनाबद्ध, बाजारोन्मुखी प्रमाणित पाठ्यक्रमों के जरिये वेतन रोजगार और/या स्वरोजगार अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी करना है। इससे वे अंततः उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और स्थायी आधार पर शहरी गरीबी दूरे करने में मदद मिलेगी। इस तरह समावेशी विकास सुनिश्चित होगा और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रशिक्षत शहरी निर्धनों का योगदान बढ़ेगा।

2. शहरी बेघरों के लिए आश्रय

एनयूएलएम कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय घटक का लक्ष्य शहरी बेघर आबादी को जलापूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी और अवसंरचना सुविधाओं सहित स्थायी आश्रय की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना; शहरी निर्धनों के विशेष कमजोर समूहों जैसे आश्रित बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगजनों, मानसिक रोगियों और गंभीर बीमारियों से स्वस्थ हुए लोगों की जरूरतें पूरी करना और इसके लिए आश्रय स्थलों के विशेष वर्ग निर्मित करना तथा उनसे संबद्ध विशेष सेवाओं का प्रावधान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेघर आबादी को उनसे संबद्ध विभिन्न पात्रताओं तक पहुंच भी प्रदान की जाती है जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), पहचान, वित्तीय समावेशन, शिक्षा, सस्ते आवास आदि। इसके अलावा, राज्य सरकार और बेघरों के समूहों सहित स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विकास के लिए ढांचे और फ्रेमवर्क तैयार करने, आश्रय स्थलों का प्रबंधन और निगरानी तथा बेघर व्यक्तियों के लिए बुनियादी सेवाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं।

दिल्ली में इस घटक का कार्यान्वयन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) द्वारा किया जा रहा है। शहर में चार नये शेल्टरों के निर्माण, 13 मौजूदा शेल्टरों में सुधार और शेल्टरों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए व्यय को मंजूरी दी गई है।

3. सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास :

एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी निर्धन परिवारों को तीन–स्तरीय रूपरेखा में गतिशील करने का प्रावधान है, जहां स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं और इन समूहों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए शहर के स्तर पर संगठित किया जाता है।

समुदाय के स्तर पर: 10–20 सदस्यों को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रूप में एकजुट किया जाता है।

एरिया स्तर पर: ऐसे 10–20 स्वयं सहायता समूहों के एरिया स्तरीय परिसंघ बनाए जाते हैं ताकि वे बैंक सुविधाओं, समूहों के बीच परस्पर लेन–देन, उच्चस्तरीय संगठनों के साथ संपर्क कायम करने जैसे बड़े मुद्दों से सामूहिक रूप से निपट सके और स्वयं सहायता समूहों के अधिकारो और विशेषाधिकारों के बारे में अपने हित में अधिक अधिकार हासिल कर सके।

शहर के स्तर पर: एरिया स्तरीय परिसंघ (एएलएफ) मिलकर शहर स्तर के परिसंघ (सीएलएफ) बनायेंगे। शहर स्तरीय परिसंघों से अपेक्षा की जायेगी कि वे एएलएफ, सदस्य एसएचजी, नगर प्रशासन और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करे ताकि शहरी निर्धनों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

एसएचजी और उनके परिसंघों के निर्माण में प्रेरक भूमिका निभाने और एनयूएलएम के अंतर्गत एसएचजी सदस्यो के वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त पंजीकृत एजेंसियां अथवा एसएचजी के पहले से स्थापित परिसंघ अथवा गैर सरकारी संगठनों को संसाधन संस्था (रिसोर्स ऑर्गनाईजेशन आरओ) के रूप में संलग्न किया जाता है। संसाधन संस्था की भूमिका स्वयं सहायता समूहों के गठन और उनके विकास में सहायता करना है। इन्हें बैंक संपर्क, एरिया स्तरीय और शहर स्तरीय परिसंघों की स्थापना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा शहरी स्थानीय निकायों के साथ संपर्क कायम करने में भूमिका अदा करनी होगी।

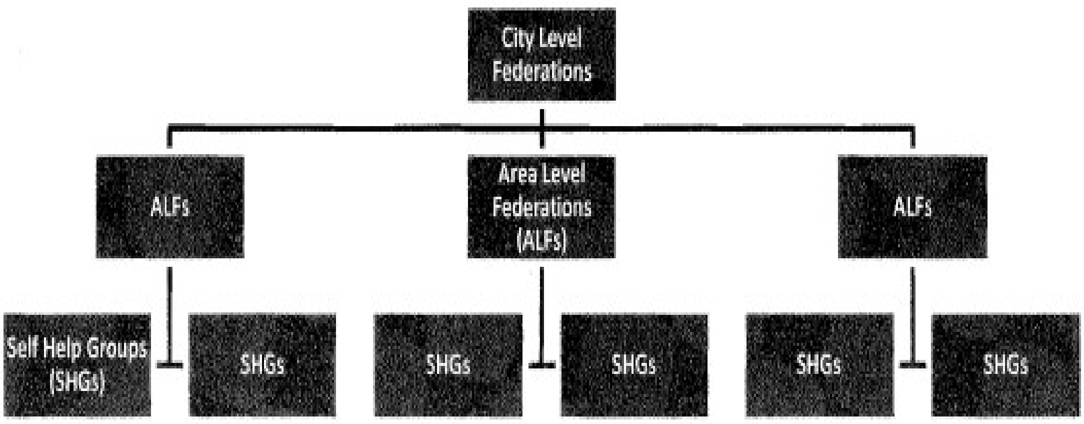

4. स्वरोजगार कार्यक्रम

इस घटक का लक्ष्य शहरी निर्धनों/समूहों को उनके कौशल, प्रशिक्षण, रूचि और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभकारी स्वरोजगार उद्यम/सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह घटक शहरी निर्धनों को स्व–सहायता समूहों को बैंक ऋण तक आसान पहुंच और

इन ऋणों पर ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध कराने में मदद करता है। इसके अलावा यह प्रौद्योगिकी, विपणन और अन्य सहायक सेवाओं के माध्यम से उद्यमी समूहों, स्व सहायता समूह के सदस्यों और शहरी रेहड़ी–पटरी वालों/फेरी वालों को उनकी आजीविका में सहयोग भी देता है।

अपर्याप्त रोजगार में लगे और बेरोजगार शहरी निर्धनों को बिनिर्माण, सेवा क्षेत्र और अन्य व्यवसायों से स्थानीय मांग से संबंधित छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

व्यक्तिगत और सामूहिक उद्यम स्थापित करने में शहरी निर्धनों को उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता बैंक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के रूप में होती है। व्यक्तिगत या सामूहित उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर या इससे अधिक पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। 7 प्रतिशत और ब्याज की मौजूदा दर के बीच का अंतर बैंकों को एनयूएलएम के तहत उपलब्ध करा दिया जाता है। व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के लिए अधिकतम यूनिट प्रोजेक्ट लागत 2 लाख रूपए और समूह उद्यम के लिए 10 लाख रूपए है। संभावित लाभार्थी– शहरी निर्धन की उम्र ऋण के लिए आवेदन करते समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

एनयूएलएम का यह घटक राजस्व जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। प्रत्येक राजस्व जिला स्तर पर व्यक्तिगत और समूह उद्यमों की सिफारिश के लिए जिला कार्यबल समितियों का गठन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में किया गया है।

5. शहरी रेहड़ी–पटरी वालों को सहायताः

रेहड़ी–पटरी वाले शहरों की अनौपचारिक व्यस्था के पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर महत्वपूर्ण खंड निर्मित करते हैं। यह व्यवसाय स्वरोजगार का एक माध्यम उपलब्ध कराता है और शहरी निर्धनता दूर करने के उपाय के रूप में काम करता है। रेहड़ी–पटरी विक्रय का शहरी आपूर्ति श्रृंखला में भी प्रमुख स्थान है और यह निर्धनों सहित आबादी के सभी वर्गों को वस्तु और सेवाओं तक कम खर्चीली और आसान पहुंच उपलब्ध कराता है। इस प्रकार रेहड़ी–पटरी व्यवसाय शहरी क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

शिक्षा और कौशल का निम्न स्तर, औपचारिक ऋण और उद्यम सहयोग तक सीमित पहुंच के कारण रेहड़ी–पटरी वालों के लिए उभरते बाजारों तक पहुंच बना पाने की क्षमता सीमित हो जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी स्ट्रीट वेंडर्स की चिंताओं का समाधान उन्हें समुचित स्थान, संस्थागत ऋण, उन्नत कौशल और सामाजिक सुरक्षा संपर्क उपलब्ध कराकर करता है।

इस घटक का उद्देश्य बहु आयामी उपायों से शहरी रेहड़ी–पटरी वालों की समस्याओं का समाधान करना है। इनमें, रेहड़ी–पटरी वालों का सर्वे और पहचान पत्र जारी करना, शहरी रेहड़ी–पटरी व्यवसाय योजनाओं का विकास, शहर में रेहड़ी–पटरी के इलाकों का बुनियादी ढांचा विकास, प्रशिक्षण और कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, ऋण तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संपर्क आता है।

रेहड़ी–पटरी वालों के अधिक समावेशी और समुचित विकास में शहरी स्थानीय निकाय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। प्रत्येक निकाय को इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होती है।

6. नवाचारी एवं विशेष परियोजनाएं (आईएंडएसपी)

इस घटक के अंतर्गत परियोजनाओं का उद्देश्य समयबद्ध कार्यक्रम लागू करना होगा। जिनका शहरी निर्धनता उन्मूलन प्रयासों पर व्यापक प्रभाव पड़ सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1020 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने की परियोजना मंजूर की है। एसयूएलएम दिल्ली इसी प्रकार की परियोजना तिहाड़ जेल में लागू कर रही है।

क्र. सं.	मद / स्कीम / गतिविधि का नाम		उपलब्धियां (01.04.2023 से 30.11.2023)
1.	कौशल प्रशिक्षम और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (ईएसटीएंडपी)	प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या	86
2.	सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास–एसएमएंडआईडी	स्व सहायता समूहों का गठन	123
		चक्रिय निधि का संवितरण	155
3.	स्व रोजगार कार्यक्रम (एसईपी)	एसईपी (आईएंडजी) के तहत सहयोग	38
4.	नवाचारी और विशेष परियोजनाएं (आईएंडएसपी)	तिहाड़ जेल में प्रशिक्षित लाभार्थी	1020

एसएलयूएम दिल्ली ने घटक के संबंधित नियमित कार्य के अलावा शहरी निर्धनों की आजीविका के अवसर बढ़ाने और कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न नवाचारी उपाय किए हैं।

- तिहाड़ जेल के कौशल प्रशिक्षित कैदियों का प्रमाणन और प्लेसमेंट शुरू किया गया है।
- दिल्ली के सभी 11 जिलों में स्व सहायता समूहों को बारी–बारी से सचिवालय पर साप्ताहित स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं।
- एनयूएलएम को अमृत योजना से जोड़कर जल दिवाली शुरू की गई है।
- भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में स्व सहायता समूहों को स्टॉल उपलब्ध कराए गए ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बाजार संपर्क का अवसर मिल सके।
- 1 से 11 नवंबर 2013 के बीच दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न मॉलों में स्व सहायता समूहों को स्टॉल उपलब्ध कराया गया।
- स्व सहायता समूहों का कौशल बढ़ाने के लिए निफ्ट के साथ क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पहल प्रक्रियाधीन है।
- दिल्ली में स्व सहायता समूहों के लिए आजीविका पहल के रूप में एनयूएलएम के तहत एक एसएचजी कैंटीन दक्षिणी जिले में शुरू किया गया है।
- स्व सहायता समूहों ने स्वच्छ भारत मिशन की पहल 3आर–कियोस्क (रि–यूज, रि–साइकिल और रिड्यूज) में भाग लिया।

11.5 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0

11.5.1 स्कीमो का संक्षिप्त विवरण

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2.10.2014 को पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। बाद में इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। इस मिशन के मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

स्कीम के लक्ष्य और उद्देश्य

1. खुले में शौच से मुक्ति
2. मैला ढोने का प्रचलन समाप्त करना
3. आधुनिक और वैज्ञानिक नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन
4. स्वच्छ और स्वस्थ आदतों को बढावा देना
5. स्वच्छता और इसके स्वास्थ्य से जुड़े होने के बारे में जागरूकता बढ़ाना
6. पूंजीगत व्यय तथा प्रचालन और प्रबंधन क्षेत्र में निजी सेक्टर के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना।

(i) विभिन्न घटक :

1. घरेलू शौचालय
2. सामुदायिक शौचालय
3. सार्वजनिक शौचालय और पेशाब घर (खुले में शौच से मुक्ति)
4. ठोस कचरा प्रबंधन
5. सूचना शिक्षा संचार और जन जागरूकता
6. क्षमता निर्माण तथा प्रशासनिक और कार्यालय व्यय

(ii) वित्त पोषण रूपरेखा

योजना निधि के लिए केंद्र की 75 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी के साथ राज्य को 25 प्रतिशत तथा सूचना शिक्षा संचार और क्षमता निर्माण कोष के लिए केंद्र की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ 20 प्रतिशत अंशदान करना होगा। पूरी मिशन अवधि के लिए दिल्ली को निर्धारित केंद्रीय वित्तीय सहायता विवरण 14.15 में दी गई है:–

विवरण 14.15

स्वच्छ भारत मिशन निधि (1-0) का घटकवार विवरण

(रुपये करोड़ में)

	आईएचएचटी	सीटी	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
तय राशि	50.16	5.15	263.68	24.61	6.15	349.76
जारी राशि	25.08	5.15	169.715	15.84	0.82	216.605
प्रयुक्त केंद्रीय अंशदान	24.29	5.147	168.005	13.24	0.43	211.112
शहरी स्थानीय निकायों के पास शेष राशि/अप्रयुक्त के रूप में लौटाई गई राशि	**0.79**	**0.003**	**1.71**	**2.60**	**0.39**	**5.493***

(आईएचएचटी – घरेलू शौचालय, सीटी–सामुदायिक शौचालय, एसडब्ल्यूएम–ठोस कचरा प्रबंधन, आईईसी–सूचना शिक्षा और संचार और सीबी–क्षमता निर्माण)

***=** *5.493 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त शेष राशि में से 2.50 करोड़ रुपए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 2022–23 में जारी की गई।*

11.5.2 खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और कचरा मुक्त शहर (जीएफसी) स्टार रेटिंग स्थिति

31.12.2023 को

एजेंसी का नाम	ओडीएफ+++ और जल + स्थिति	जीएफसी स्टार रेटिंग
एनडीएमसी	जल + प्राप्त	5 स्टार प्राप्त और 7 स्टार के लिए आवेदन
उत्तरी डीएमसी	ओडीएफ+ प्राप्त ओडीएफ++ के लिए आवेदन	18/03/2022 को जीएफसी के लिए आवेदन
दक्षिणी डीएमसी	ओडीएफ++ प्राप्त	3 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन
पूर्वी डीएमसी	ओडीएफ+ प्राप्त ओडीएफ++ के लिए आवेदन	18/03/2022 को जीएफसी के लिए आवेदन
डीसीबी	ओडीएफ++ प्राप्त	1 स्टार रेटिंग प्राप्त

11.5.3 **ठोस कचरा प्रबंधन**

एकल उपयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक उपयोग को हतोत्साहित करना:

- प्लास्टिक का संग्रह नवीन उपायों जैसे *प्लास्टिक लाओ, थैला पाओ, बरतन भंडार* आदि के माध्यम से समुदाय को शामिल करके किया जा रहा है। ''बॉटल्स फॉर चेंज'' (बिसलेरी के सहयोग से), प्लॉग रन रैलियों आदि पहलों के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के संग्रह और इसे अलग करने के महत्व के बारे में बड़े पैमाने पर जनता को जागरूक किया जा रहा है। इस तरह एकत्र किए गए प्लास्टिक कचरे को अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों में भेजा जा रहा है।
- इसके अलावा, निजी क्षेत्र की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व–सीएसआर गतिविधियों और समुदाय के सहयोग से विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उदाहरण के लिए 2020 में आईपीसीए (एक स्वयंसेवी संगठन) के साथ मेरा 10 कि.ग्रा. प्लास्टिक अभियान के अंतर्गत 6367 किग्रा. प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया और ओएनजीसी के सहयोग से बॉटल क्रशर मशीनों की स्थापना की गई है। उत्तरी दि.न.नि. ने कचरा कैफे की स्थापना की है और निगम करोल बाग में प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र भी बना रहा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ–साथ सामग्री रिकवरी सुविधाएं (एमआरएफ) भी स्थापित की गई हैं।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विनियम, 2016 (2018 में संशोधित) के लिए उपविधान अधिसूचित किए गए हैं।
- एनजीटी के आदेश के अनुसार एसयूपी पर कारग़र ढंग से रोक लगाने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है।
- दिनांक 24.02.2021 को हुई प्रगति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में केवल एक बार इस्तेमाल (सिंगल यूज) किए जाने वाले प्लास्टिक को एक अभियान के तहत खत्म करने के उपाय करने के लिए राराक्षे दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य दल का गठन किया गया है। इसके अलावा, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम (पीडब्लूएमआर), 2016 के अनुसार प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर शहर स्तरीय टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।
- एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी लाने के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसका लक्ष्य एकबारगी प्रयुक्त प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों/हितधारकों के बीच प्रभावी निगरानी और समन्वय करना है। समिति की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

11.5.4 कचरा मुक्त रेटिंग

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 5 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग हासिल की है।

11.5.5 स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग

(i) **स्वच्छ सर्वेक्षण की वर्षवार सर्वे रिपोर्ट** : स्वच्छता और साफ सफाई के विभिन्न मानकों पर शहरों की रैंकिंग के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वेक्षण—**स्वच्छ सर्वेक्षण** की वार्षिक रिपोर्ट विवरण 14.16 में दी गई है:—

विवरण 14.16

शहरी स्थानीय निकाय	श्रेणी	स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रैकिंग	स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैकिंग
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	(1—3 लाख आबादी श्रेणी)	1	3
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	10 लाख से उपर आबादी ; (कुल 48 शहरों मे)	45	37
दक्षिण दिल्ली नगर निगम		31	28
पूर्वी दिल्ली नगर निगम		40	34
दिल्ली छावनी बोर्ड	छावनी बोर्ड में	3	5

(ii) **ठोस कचरा प्रबंधन की भौतिक प्रगति**

विवरण 14.17

दिल्ली में कचरा संबंधी स्थिति (मी.ट.प्र.दि.)

शहरी स्थानीय निकाय	नगर निगम ठोस कचरा उत्सर्जित (मी.ट.प्र.दि.)	निपटान किया गया कचरा (मी.ट.प्र.दि.)	नगर निगम ठोस कचरा निपटान केन्द्र (एमडब्ल्यू)	सेनेटरी लैंड फिल पर डाला गया कचरा (मी.ट.प्र.दि.)	डीपीआर के अनुसार कचरा स्थल उपचार के लिए लक्षित तिथि
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	2600	550 एमटीपीडी पुनःचक्रण योग्य एमआरएफ के जरिये, 50 एमटीपीडी कंपोस्टिंग / बायो मेथनाईजेशन से	12 (एमडब्ल्यू) डब्ल्यूटीई संयंत्र, गाजीपुर (क्षमता 1300 एमटीपीडी) संयंत्र की ओवरहॉलिंग पूरी हो चुकी है और जुलाई 2022 से काम कर रहा है।	2000 (गाजीपुर एसएलएफ)	31.12.2024
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	4500	2300	24 (एमडब्ल्यू) डब्ल्यूटीई	2400 (भलस्वा एसएलएफ)	31.07.2024
एपीएमसी	200	0			
दक्षिण दिल्ली नगर निगम	3500	2050	क्षमता 2050 एमटीपीडी ऊर्जा उत्पादन डब्ल्यूटीई संयंत्र से 21(एमडब्ल्यू)	1450 एसडीएमसी (ओखला एसएलएफ)	31.12.2024
दिल्ली छावनी बोर्ड	72	41		31 (ओखला एसएलएफ)	लागू नहीं
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	232	232	डब्ल्यूटीई 1, डब्ल्यूटीसी 55, ओडब्ल्यूसी 24, बायोगैस 6, एमआरएफ 2	-	लागू नहीं
कुल	**11,104**	**5,223**	**57** (एमडब्ल्यू)	**5,881** (एसएलएफ पर)	

मी.ट.प्र.दि — मीट्रिक टन प्रति दिन, एसएलएफ— सेनेटरी लैंड फिल, डब्ल्यूटीई—कचरा से ऊर्जा, डब्ल्यूटीसी — कचरे से कम्पोस्ट, एमडब्ल्यू—मेगावाट और एमएसडब्ल्यू—नगर ठोस कचरा।

(iii) नगरीय ठोस कचरे के लिए प्रस्तावित क्षमता संवर्धन

विवरण 14.18

एजेंसी	
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	–उत्पादन – 2600 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन, डब्ल्यूटीई गाजीपुर में (121 मेगावाट) अंतराल – –2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन एकीकृत निपटान केन्द्र, 2000 मीट्रिक टन (1200 एमटीपीडी बायोमिथेनाइजेशन+600 एमटीपीडी डब्ल्यूटीई के लिए+200 एमटीपीडी इन्अर्ट वेस्ट के लिए) पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा घोंडा, गुजरान में एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम में विकसित की जानी है। आंशिक कार्य नवीकरण के तहत। हालांकि जमीन संबंधी मुद्दे के कारण परियोजना रुकी है। डीडीए के साथ भूमि आवंटन मुद्दा उठाया जा रहा है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	–उत्पादन 4500 मीट्रिक टन प्रतिदिन नरेला–बवाना डब्ल्यूटीसी में 2300 मीट्रिक टन प्रतिदिन का निपटान (24 मेगावाट और 70 मीट्रिक टन कम्पोस्ट) अंतराल 2200 मीट्रिक टन प्रतिदिन कंपोस्टिंग/बिजली उत्पादन और तेल के माध्यम से 100 प्रतिशत नगरपालिका अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नवीकरण के तहत आंशिक कार्य
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	उत्पादन 3500 मीटिक प्रतिदिन टन (16 मेगावाट) निपटान 2050 एमटीई ओखला अंतराल 1450 एमटीपीडी तेहखंड में 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का एसबीएम वित्त पोषित संयंत्र जो निर्माणाधीन है। नवीकरण के तहत आंशिक कार्य
एनडीएमसी	उत्पादन 232 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 232 डब्ल्यूटीई ओखला इसके अलावा लगभग 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन 125 कम्पोस्ट गडढों और 5 बायो मिथेनाइजशन द्वारा प्रसंस्कृत
दिल्ली छावनी बोर्ड	72 मीट्रिक टन प्रतिदिन निपटान 41 मीट्रिक टन प्रतिदिन अंतराल 31 मीट्रिक टन प्रतिदिन, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं।

(iv) कचरा ढेर उत्सर्जक

विवरण 14.19

दिल्ली में कचरा उत्सर्जन स्थिति (एमटीपीडी)

शहरी स्थानीय निकाय	पहचान संख्या	उत्सर्जित कचरा (एमटीपीडी)	निस्तारित कचरा (एमटीपीडी)
एमसीडी	1424	236	71
एनडीएमसी	25	15	4.5
कुल	**10449**	**251**	**76.5**

11.6 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

11.6.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 का विवरण इस प्रकार है :–

मिशन के लक्ष्य	कचरे को गीले और सूखे में अलग–अलग करने का शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के साथ सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना, हर घर तक जाकर कूड़ा एकत्र करने का शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना, कचरे का शत–प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन, सभी कूड़ा स्थलों और गाद सहित प्रयुक्त पानी का उपचार ताकि जल/भूमिगत जल प्रदूषित न हो।
	स्वच्छ भारत मिशन गतिविधियों के माध्यम से वायु प्रदूषण में कमी लाना
	एकल उपयोग प्लास्टिक में चरणबद्ध रूप से कमी
	स्वच्छ अभ्यासों को जन आंदोलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नागरिकों से संपर्क
	मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना

वित्त पोषण के लिए मिशन के घटक	कचरा निपटान केंद्र, कम्पोस्टिंग संयंत्र, आरडीएफ प्रसंस्करण केंद्र, कूड़ा स्थलों के जैव प्रबंधन सहित ठोस कचरा प्रबंधन
	घरों के लिए निजी शौचालयों, सामुदायिक शौचालय और सार्वजनिक शौचालयों, पेशाब घरों का निर्माण और अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना
	गाद हटाने के संयंत्र, नालों का मार्ग बदलकर और अवजल उपचार संयंत्रों के निर्माण से प्रयुक्त जल का प्रबंधन
	सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा अभ्यास परिवर्तन संचार (बीसीसी) पहल जैसे सोशल मीडिया के जरिये, मिशन के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार के प्रबंधन के लिए पेशेवरों की हायरिंग
	कर्मचारियों के प्रशिक्षण, पेशेवरों की हायरिंग, कार्यशाला और व्याख्यान, मिशन प्रबंधन इकाईयों के गठन के माध्यम से क्षमता निर्माण
मिशन के परिणाम	सभी शहरों को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त या उच्च रैंकिंग प्रमाणन
	सभी शहरों को कम से कम ओडीएफ+ दर्जा प्राप्त
	एक लाख से कम आबादी वाले सभी शहर कम से कम ओडीएफ++ बने
	एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में कम से कम 50 प्रतिशत को जल+ दर्जा प्राप्त ह।
मिशन की अवधि	1 अक्टूबर 2021 से 1 अक्टूबर 2026
दिल्ली (विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश) के लिए वित्तीय साझेदारी	**दिल्ली के लिए भारत सरकार से घटकवार वित्त पोषण 692.6 करोड़ रुपए है**
	विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 80 प्रतिशत : 20 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी निर्धारित
	केंद्र और विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश के बीच आईएचएचएल के लिए वित्तीय साझेदारी 4000 रुपए:1333 रुपए के अनुपात में होगी
	सीटी/पीटी/पेशाब घर/प्रयुक्त जल प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित्तीय साझेदारी 80:20 के अनुपात में होगी
	आईईसी और सीबी के लिए भी वित्तीय साझेदारी 80:20 के अनुपात में रहेगी।
प्राप्त निधि का ब्योरा	भारत सरकार से संबंधित घटकों के तहत निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई है: क) क्षमता निर्माण के लिए 10 लाख रुपए (18/02/2022) ख) कचरा ढेर निस्तारण के लिए ठोस कचरा प्रबंधन के तहत 174.24 करोड़ रुपए (28/03/2022) ग) आईईसी और जन जागरूकता के तहत 2.50 करोड़ रुपए (28/03/2022) घ) ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 16.579 करोड़ रुपए (28/03/2022) ङ) ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 36.546 करोड़ रुपए (06/04/2022) च) ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 235.31 करोड़ रुपए (14/11/2023) उपर्युक्त निधियों के तहत 80:20 के अनुपात में राज्य का हिस्सा, उपर्युक्त केंद्रीय निधियों के साथ शहरी स्थानीय निकायों/एमसीडी को जारी किया जा चुका है।

11.6.2 वित्तीय प्रगति

स्वच्छ भारत मिशन निधि (2.0) का घटकवार ब्योरा

(करोड़ रुपए में)

	सीटी/पीटी	यूडब्ल्यूएम	एसडब्ल्यूएम	आईईसी	सीबी	कुल
निर्धारित केंद्रीय हिस्सा (सीएस)	10.00	0	1152.60	15.00	15.00	1192.60
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सीएस	0	0	409.75	0	0.10	174.54
एमसीडी को जारी सीएस	0	0	174.36	0	0.06	174.42
राज्य का हिस्सा (एसएस) जारी	0	0	43.59	0	0	43.59
शहरी स्थानी निकायोंध्एमसीडी को जारी कुल निधि	0	0	217.95	0	0.06	218.01
प्रयुक्त सीएस	0	0	174.36	0	0	174.36
प्रयुक्त एसएस	0	0	43.59	0	0	43.59
कुल उपयोग	0	0	217.95	0	0	217.95
यूएलबी/एमसीडी के पास शेष सीएस	0	0	0	0	0.06	0
यूएलबीध्एमसीडी के पास शेष एसएस	0	0	0	0	0	0
एमसीडी के पास कुल अप्रयुक्त राशि	0	0	0	0	0.06	0.06

(सीटी–सामुदायिक शौचालय, पीटी–सार्वजनिक शौचालय, यूडब्ल्यूएम–प्रयुक्त जल प्रबंधन, एसडब्ल्यूएम–ठोस कचरा प्रबंधन, आईईसी–सूचना शिक्षा और संचार और सीबी–क्षमता निर्माण)

अध्याय एक नजर में

➢	दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को ऐसे गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ सबके लिये सतत, समावेशी और समान बनाना है जो पारिस्थितकी और सांस्कृतिक रूप से संधारणीय और सुलभ हो।
➢	सड़क, जलनिकासी व्यवस्था और स्वच्छता सेवाओं में विकास के जरिये अनधिकृत कॉलोनियों में सर्वाधिक पारदर्शी और कुशल ढंग से भारी सार्वजनिक निवेश किया गया है ताकि लोगों के जीवनस्तर में लगातार सुधार हो सके।
➢	दिल्ली में आवास व्यवस्था में पिछले दशकों में काफी सुधार हुआ है। अच्छे मकानों की संख्या 2001 के 58 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 66 प्रतिशत हो गयी है। लगभग एक तिहाई मकानों में मामूली मरम्मत की जरूरत है और केवल 3 प्रतिशत मकान जर्जर स्थिति में है जिनमें काफी काम किया जाना है। 2022 तक सबके लिये मकान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये 4.8 मिलियन मकान बनाये जाने/उन्नत किये जाने की जरूरत है। कुल व्यवस्था का 54 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए होगा।
➢	डीएसआईआईडीसी एक दशक से भी अधिक समय से दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियो में बुनियादी ढांचा विकास का काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 340.55 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सहित अन्य काम पूरा किया गया। जबकि 30 नवंबर 2023 तक 40 कॉलोनियों में 144.33 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा काम जारी था।
➢	झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के पुनर्वास के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुनर्वास नीति के प्रावधान लागू करने के लिये डूसिब स्लम निवासियों के स्व स्थाने पुनर्वास के लिये काम कर रहा है।
➢	अमृत योजना एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसके लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में शत प्रतिशत राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। यह राशि 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाती है।
➢	मिशन स्वराज को एनयूएलएम के तहत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिये शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
➢	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का दूसरा चरण 01 अक्तूबर 2021 को, पांच वर्ष की अवधि के लिये लागू किया गया। एसबीएम (शहरी) 2.0 मुख्य रूप से पहले चरण के दौरान प्राप्त स्वचच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन परिणामों को सतत रखने तथा सृजित गति को और तेज करने पर ध्यान देगा। दिल्ली ने खुले में शौच से मुक्त शहर – ओडीएफ दर्जा हासिल कर लिया है।